

ज्ञापांक 990-2/स्था0,

प्रेषित :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
कुमारखंड।

विषय : श्री निर्मल राम, उच्च वर्गीय लिपिक एवं श्री भीखा राम, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रखंड कार्यालय, कुमारखंड के विरुद्ध प्रपत्र-क में आरोप पत्र गठित कर नहीं भेजने के संबंध में स्पष्टीकरण का प्रेषण।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक 147-2/स्था0, दिनांक 03-03-2012.

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि श्री निर्मल राम, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रखंड कार्यालय, कुमारखंड माह नवम्बर 2011 से एवं श्री भीखा राम, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रखंड कार्यालय, कुमारखंड 05 दिसम्बर 2011 से बिना कोई सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 147-2/स्था0, दिनांक 03-03-2012 के द्वारा ही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1-क) के तहत निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध प्रपत्र-क में आरोप पत्र गठित कर अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के माध्यम से मांग की गई थी। इस संदर्भ में इस कार्यालय के द्वारा पत्रांक 348-2/स्था0, दिनांक 13-06-2012, 538-2/स्था0, दिनांक 19-09-2012, 664-2/स्था0, दिनांक 27-12-2012 एवं 771-2/स्था0, दिनांक 13-09-2012 स्मार पत्र निर्गत किया जा चुका है। नियम-07 के अनुसार इन दोनों कर्मियों के विरुद्ध तीन माह के अन्दर आरोप पत्र गठित किया जाना था। परन्तु एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आरोप पत्र गठित कर नहीं भेजा जाना यह दर्शाता है कि उक्त आरोपी को आपका संरक्षण प्राप्त है एवं किसी न किसी रूप से बचाया जा रहा है, जिसके लिए आप पूर्णतया उत्तरदायी हैं।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2178 दिनांक 28-02-2007 में निहित प्रावधान के आलोक में सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कर लिया जाना है। आरोप पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त प्रक्रिया ससमय पूरी नहीं की जा सकी है। यह आपकी लापरवाही एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

अतएव इस संदर्भ में आप अपना स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा क्यों नहीं इस कृत के लिए आपको उत्तरदायी मानते हुए आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु विभाग को अनुशंसा भेज दी जाय। साथ ही साथ इन दोनों निलंबित कर्मियों के विरुद्ध आरोप पत्र साक्ष्य सहित गठित कर 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।


जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।